

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/ पटना, दिनांक

विषय:- शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के छात्र/छात्राओं को शहर के प्रमुख स्थान से संस्थान तक एक बार जाने एवं आने के लिए दो बसों के परिचालन हेतु रू. 22,73,120=00 (बाईस लाख तीहतर हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के पत्रांक-876, दिनांक 20.12.2019 के आलोक में संस्थान के छात्र/छात्राओं को शहर के प्रमुख स्थान से संस्थान तक एक बार जाने एवं आने के लिए दो बसों के परिचालन हेतु रू. 22,73,120=00 (बाईस लाख तीहतर हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-112- इंजिनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001- स्नातक और स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43-2203001120001 है।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, सासाराम से की जायेगी।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

6. उक्त स्वीकृत राशि से आवश्यकतानुसार बसों का परिचालन एक से अधिक ट्रीप में किया जा सकेगा।

7. उक्त राशि से बस परिचालन सेवा प्रदाता को सेवा कर/जी.एस.टी. की आवश्यक कटौती के उपरांत नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस हेतु आवंटित राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(IV) यो.-55/2019-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(IV) यो.-55/2019-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(IV) यो.-55/2019-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि.प्रा.(IV) यो.-55/2019-

1029 / पटना, दिनांक- 16.3.2020

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2020

सरकार के उप सचिव